



भारत सरकार  
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

वन शिक्षा निदेशालय

Government of India

Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Directorate of Forest Education

डाकघर: न्यूफॉरेस्ट, देहरादून - 248 006 (उत्तराखण्ड)

PO - New Forest, Dehradun - 248 006 (Uttarakhand)

दूरभाष / Tel. : 0135 - 2750127, 2757326

ई-मेल / E-mail : dfe-dehradun@gov.in | वेबसाइट / Website : www.dfe.gov.in

सं. 5-29/05-व.शि.नि./2657-61

दिनांक 14 नवंबर, 2024


**कार्यालय आदेश**

निदेशालय के पूर्व आदेश संख्या 5-29/05-व.शि.नि./3082-87, दि. 10 नवंबर, 2022 को अधिक्रमण करते हुए, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाता है:-

In supersession of the earlier office order No. 5-29/05-D.F.T/3082-87 dated 10-11-2022, the committee for prevention of Sexual Harassment of working Women at their workplace, 2013 under clause (4) is constituted as follows :-

1.	श्रीमती अभर्णा के. एम., भा.व.से., व्याख्याता, के.अ.रा.व.से. देहरादून।	अध्यक्ष
2.	श्रीमती मोनीदीपा शर्मा, N.G.O., G.M.S Road, सेवलाकलॉ, देहरादून।	सदस्य
3.	श्री आर. एस. नेगी, प्रशासनिक अधिकारी, वन शिक्षा निदेशालय देहरादून।	सदस्य
4.	श्रीमती नीलम, अधीक्षक, वन शिक्षा निदेशालय देहरादून।	सदस्य सचिव
5.	श्री प्रकाश सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक, वन शिक्षा निदेशालय देहरादून।	सदस्य
6.	सुश्री मीनाक्षी बृजवासी, एम.टी.एस., वन शिक्षा निदेशालय देहरादून।	सदस्य

- मासिक बैठक सदस्य सचिव द्वारा बुलाई जायेगी और कार्यवाही का मसौदा श्री प्रकाश सिंह, उच्च श्रेणी लिपिक द्वारा तैयार किया जायेगा।  
The monthly meeting will be convened by the Member Secretary and the proceedings will be Drafted by Mr. Prakash Singh, Upper Division Clerk under the guidance of Member Secretary.
- एन.जी.ओ. के प्रतिनिधि को शुल्क की प्रतिपूर्ति पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के नियम के अनुसार की जायेगी। इसके लिए प्रक्रिया अधीक्षक द्वारा की जायेगी।  
The fee to the NGO representative will be reimbursed as per the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 and the procedure for the same will be followed by the Superintendent.
- समिति वन शिक्षा निदेशालय के कर्मचारियों की शिकायतों को सुनेगी तथा उनके निवारण के लिए समय पर उचित कार्रवाई करेगी।  
The committee will hear the complaints of Directorate of Forest Education employees and take appropriate action.
- समिति वर्ष ( जनवरी से दिसंबर) के दौरान प्राप्त होने वाली शिकायतों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रति वर्ष 31 जनवरी तक अद्योहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेगी।  
The committee shall submit its report to the undersigned by 31st January every year (January to December).

  
निदेशक वन शिक्षा  
वन शिक्षा निदेशालय

वितरण:-

- उप सचिव (P.II) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड नई दिल्ली-110 003 को सूचनार्थ।
- प्रधानाचार्य, केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- श्रीमती अभर्णा के. एम., भा.व.से., व्याख्याता, के.अ.रा.व.से., देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- श्रीमती मोनीदीपा शर्मा, N.G.O., G.M.S Road, सेवलाकलॉ, देहरादून।
- समिति के सभी सदस्य।